मूल-हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 558

12 अप्रैल, 2017 को उत्तर के लिए

'kkSpky; lqfoèkk,a

*558- Jh iadt pkSèkjh%

D;k **'kgjh fodkl** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k 'kgjh {ks=ksa dh efyu cfLr;ksa vkSj vufèkd`r dkWyksfu;ksa esa jgus okys yksxksa dks 'kkSpky;&fuekZ.k dh ljdkjh ;kstuk dk ykHk izkIr gks jgk gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(

¼[k½ foÙk o"kks± 2015&16 vkSj 2016&17 ds nkSjku 'kgjh {ks=ksa dh efyu cfLr;ksa vkSj vufèkd`r dkWyksfu;ksa esa 'kkSpky;&fuekZ.k ds fy, vkcafVr vkSj iz;qDr èkujkf'k dk jkT;&okj C;kSjk D;k gS(vkSj

¼x½ D;k foxr nks o"kks± rFkk pkyw o"kZ ds nkSjku ns'k ds 'kgjh {ks=ksa esa 'kkSpky;&fuekZ.k ds fy, fons'k ls Hkh foÙkh; lgk;rk izkIr gqbZ gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एम.वेंकैया नायडु)

(क)से(ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

<u>विवरण</u>

"शौचालय सुविधाओं" के सबंध में दिनांक 12.04.2017 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां । शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में स्लम और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु लाभ मुहैया कराए जा रहे हैं । भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को आईएचएचएल की प्रत्येक यूनिट हेतु 4000 रूपए की सहायता मुहैया करायी जाती है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा आईएचएचएल की प्रत्येक यूनिट के लिए कम से कम 1333 रू. का अंशदान किया जाता है । सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को स्लमवासियों द्वारा उपयोग करने के लिए सामुदायिक शौचालयों (सीटी) के निर्माण हेतु धनराशि भी मुहैया करायी जाती है । इसके अलावा, सार्वजनिक शौचालयों(पीटी) के निर्माण हेतु सरकार द्वारा भी यूएलबी को धनराशि मुहैया करायी जाती है । इन शौचालयों का उपयोग स्लमों एवं अनधिकृत कालोनियों के निवासियों सहित आम जनता द्वारा किया जा सकता है । राज्यों में निर्मित किए गए आईएचएचएल और सीटी/पीटी का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है ।

(ख): शौचालयों के निर्माण के लिए आबंटित और जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है ।

(ग): जी, नहीं । पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु विदेशों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

****

शौचालय सुविधाओं के संबंध में दिनांक 12.04.2017 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत निर्मित किए गए व्यक्तिगत और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएचएचएल	सीटी/पीटी
1	आंध्र प्रदेश	349,932	12,176
2	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1,056	9
4	असम	737	1,988
5	बिहार	66,680	655
6	चंडीगढ़(यूटी)	21,999	1,999
7	छत्तीसगढ़	243,628	6,239
8	दमन और दीव	0	0
9	दादरा और नगर हवेली	0	0
10	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14	6,862
11	गोवा	914	40
12	गुजरात	567,003	9,968
13	हरियाणा	19,345	1,146
14	हिमाचल प्रदेश	1,675	30
15	जम्मू और कश्मीर	773	510
16	झारखंड	112,065	538
17	कर्नाटक	122,587	3,232
18	केरल	65,976	110
19	मध्य प्रदेश	371,594	15,508
20	महाराष्ट्र	338,517	3,267
21	मणिपुर	236	140
22	मेघालय	1	15
23	मिजोरम	2,349	53
24	नागालैंड	3,690	70
25	ओडिशा	20,848	967
26	पुडुचेरी(यूटी)	2,277	95
27	पंजाब	27,131	481
28	राजस्थान	77,533	3,558
29	सिक्किम	1,627	20
30	तमिलनाडु	296,438	44,290
31	तेलंगाना	72,550	1,584
32	त्रिपुरा	1	0
33	उत्तर प्रदेश	276,728	4,542
34	उत्तराखंड	4,045	339
35	पश्चिम बंगाल	125,944	161
कुल		**31,95,893**	**1,20,592**

शौचालय सुविधाओं के संबंध में दिनांक 12.04.2017 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएचएचएल		सीटी	
		2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.02		0.03	
2	आंध्र प्रदेश	65.48		3.95	
3	अरुणाचल प्रदेश	1.21			
4	असम		4.00		0.52
5	बिहार	20.00	40.00		0.73
6	चंडीगढ़	0.37	1.22	0.13	
7	छत्तीसगढ़	20.00	50.83	7.08	6.57
8	दादरा और नगर हवेली	0.09		0.05	
9	दमन और दीव	0.13		0.01	
10	दिल्ली	23.08		4.89	
11	गोवा	1.40		0.12	
12	गुजरात	81.27	38.32		13.99
13	हरियाणा	11.65			
14	हिमाचल प्रदेश				
15	जम्मू और कश्मीर	4.57	9.44		1.25
16	झारखंड	18.90	48.67		3.94
17	कर्नाटक	30.86			
18	केरल	14.99			
19	मध्य प्रदेश	58.51	163.37	15.54	49.60
20	महाराष्ट्र	44.60	95.06		
21	मणिपुर	1.65			
22	मेघालय				
23	मिजोरम	1.00			
24	नागालैंड	3.20			
25	ओडिशा	21.94	37.94		15.49
26	पुडुचेरी		3.85		1.10
27	पंजाब	15.00			
28	राजस्थान	41.75	105.47	3.25	10.07
29	सिक्किम		0.13		0.09
30	तमिलनाडु	47.11	57.94		48.35
31	तेलंगाना	29.15	29.15		
32	त्रिपुरा		7.61		0.16
33	उत्तर प्रदेश	82.23			
34	उत्तराखंड	1.00	2.25		0.52
35	पश्चिम बंगाल	53.52	3.86		5.20
कुल		**694.68**	**699.11**	**35.04**	**157.60**

***